



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 27.01.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 102 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी अशोक लीलेण्ड आई जेन 6 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत



थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 102 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी अशोक लीलेण्ड आई जेन 6 नं0 DL 1L AE 4236 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-प्रविन्द्र पुत्र जगपाल निवासी मोज्जम नगर थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा ।
- 2-साहिल उर्फ मोनू पुत्र मुकेश निवासी मोज्जम नगर थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- 102 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी अशोक लीलेण्ड आई जेन 6 नं0 DL 1L AE 4236

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री भूरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा ।
- 2.का० 937 शिवम शर्मा थाना खेकडा ।
- 3.का० 978 पुनीत कुमार थाना खेकडा ।
- 4.का० 330 हरेन्द्र कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 27.01.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 20/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से मंदिर से चोरी किये हुये 494 रुपये नकद, एक लोहे का सरिया तथा एक दान पात्र बरामदा

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26/01/24 को थाना बिनौली पर वादी विजय कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली ने प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 1.दीपक पुत्र बिल्लू व 2.गौरव पुत्र भोपाल निवासीगण ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली द्वारा शिव मन्दिर (गोसाईं वाला) से दान पात्र



चोरी कर लिया तथा इससे पूर्व प्राथमिक विद्यालय 01 व नम्बर 03 से गैस सिलेण्डर व पंखे तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र से बैटरी चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु०अ०सं० 20/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 20/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को

गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मंदिर से चोरी किये हुये 494 रुपये नकद, एक लोहे का सरिया तथा एक दान पात्र बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-दीपक पुत्र स्व0 बिल्लू उर्फ बिजेन्द्र निवासी विजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-गौरव पुत्र स्व0 भोपाल निवासी विजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- चोरी किये हुए 494 रुपये नकद ।
- चोरी किया हुआ लोहे का 01 सरिया लम्बाई लगभग एक फीट ।
- चोरी किया हुआ एक दान पात्र ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरक्षक श्री महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली ।

2-श्री धीरज कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-का0 557 राहुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-का0 23 अजयपाल थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना चांदीनगर

दिनांक 27.01.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अभिषेक पुत्र वेदी उर्फ वेदपाल निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-विक्रम पुत्र वेदी उर्फ वेदपाल निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
3. है0का0 208 सतेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।